>

Title: Need to issue directions to the private sector banks not to charge the customers of other banks any fees for the first four withdrawals in a month from ATMs.

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मामले को उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की जा रही मनमानी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दे रखा है कि एटीएम धारक ग्राहके अपने बैंक से बिना शुल्क के और दूसरे बैंक से एक महीने में चार बार बिना शुल्क के रुपयों की मुफ्त निकासी कर सकते हैं। चार बार से अधिक की निकासी पर उसे शुल्क देना होगा। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक रिजर्व बैंक के निर्देश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं और हर बार की निकासी पर ग्राहक से शुल्क काट रहे हैं। इस प्रकार निजी बैंक हर बार शुल्क काट कर एटीएम धारकों के साथ नाइंसाफी तो कर ही रहे हैं वरन् भारत सरकार की घोषित जनपक्षीय नीतियों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। अतः माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी मांग है कि वे निजी बैंकों की इस मनमानी पर रोक लगाने और रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार एटीएम से चार बार रुपये निकालने पर कोई शुल्क न लेने का निजी बैंकों को निर्देश दें।